राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–2379/2025

हेमन्त कुमार

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिए प्रमुख शासन सचिव, स्कुल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 02.04.2025

उपस्थिति :–

अपीलार्थी की ओर से : श्री आर.एस. भारद्वाज एवं श्री पंकज दत्त, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री महिपाल खर्रा, अति.राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसवड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी को आदेश दिनांक 24.09.2023 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा संचालित राजकीय अल्पसंख्यक अवासीय विद्यालय जीएमआरएस पहाडी कामां, भरतपुर में एक वर्ष के लिए प्रतिनियुक्ति पर सेवाएं प्रदान करने के आदेश प्रदान किये गये थे। इसकी पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 03.10.2023 को कार्यग्रहण किया। अपीलार्थी की एक वर्ष की प्रतिनियुक्ति पर सेवाएं समाप्त हो चुकी है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर द्वारा आदेश दिनांक 23.08.2024 के द्वारा अपीलार्थी की प्रतिनियुक्ति समाप्त की जा चुकी है और यह निर्देश दिये कि अपीलार्थी की प्रतिनियुक्ति निरस्त कर अपीलार्थी को मूल स्थान पर भेजा जाए। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी की प्रतिनियुक्ति समाप्त किये जाने के पश्चात भी अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को कार्यमुक्त नहीं किया जा रहा है। माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा स्मरण पत्र भी भेजा गया, परंतु उसकी भी पालना नहीं की गई है।

3. हमनें अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया।

4. अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रतिनियुक्ति समाप्त हो जाने के पश्चात भी अपीलार्थी को कार्यमुक्त नहीं किया जा रहा है, जो विधि विरूद्ध है। ऐसे में अल्पसंख्यक मामलात विभाग को निर्देश दिये जाएं कि अपीलार्थी को कार्यमुक्त किया जाए।

5. हम पाते हैं कि अपीलार्थी की प्रतिनियुक्ति उसके पैतृक विभाग द्वारा समाप्त की जा चुकी है। ऐसे में अपीलार्थी को प्रतिनियुक्ति पर कार्य करने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा अपीलार्थी की प्रतिनियुक्ति समाप्त होने के पश्चात नियमानुसार कार्यमुक्त किया जाना चाहिए था, जो उन्होंने अभी तक नहीं किया। उपरोक्त परिस्थितियों को देखते प्रत्यर्थी संख्या–3 व 4 को निर्देश दिये जाते हैं कि इस आदेश के प्राप्ति के 7 दिवस के अन्दर अपीलार्थी को पैतृक विभाग के लिये कार्यमुक्त करें। प्रत्यर्थी संख्या–2 को निर्देश दिये जाते हैं कि वह यह सुनिश्चित करें कि अपीलार्थी को कार्यमुक्त किया जावे।

6. उपरोक्त आदेश के साथ अपील का निस्तारण किया जाता है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)